[2020] 8 एस. सी. आर 272

एम/एस। राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. सीमित

वी.

केपी जयराम और ए. एन. आर.

(2019 की सिविल अपील संख्या 7474)

अगस्त 28,2020

[अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 7-कंपनियाँ

अधिनियम, 1956-सीमा अधिनियम, 1963-अनुसूची के भाग II के खंड (19) से (21)-उत्तरदाताओं ने 25.04.2018 पर एक याचिका दायर की।

यू / आई. बी. सी. की धारा 7, 'वित्तीय लेनदार' के रूप में, रुपये की मूल राशि का दावा करती है। ब्याज के साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपये-अपीलकर्ता कंपनी के अनुसार, 2003 से 2004 के बीच उत्तरदाताओं को 40,000 रुपये का भुगतान किया गया था-इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने धर्म परिवर्तन करने का अनुरोध किया

Rs.90,00,000/- बकाया ऋण से शेयर आवेदन राशि के रूप में अपीलकर्ता कंपनी में शेयर जारी करने के लिए

उत्तरदाता नं। 2 , जिसे बाद में 'एम. के.' के उक्त शेयर आवेदन के रूप में माने जाने और प्रत्यर्थी सं. 2 – इसके अलावा, 2004 से 2006 की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता कंपनी ने उत्तरदाताओं को Rs.43,25,000/- का भुगतान किया और उस भुगतान के साथ ऋण देयता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया-NCLT ने अपने निर्णय और दिनांक 19.12.2018 के आदेश में कहा कि

उत्तरदाता अपीलकर्ता कंपनी के वित्तीय लेनदार नहीं थे और उत्तरदाताओं के दावे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे थे कि अपीलकर्ता कंपनी से उत्तरदाताओं को कोई ऋण देय था, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता कंपनी ने भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया था-विवादित निर्णय और दिनांक 02.09.2019 के आदेश द्वारा

अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांकित 19.12.2018 के आदेश को रद्द कर दिया एन. सी. एल. टी.-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के भाग II के खंड (19) से (21) के तहत, उधार दिए गए धन की वसूली के लिए एक मुकदमे की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि, उस तारीख से तीन साल है जिस दिन ऋण का भुगतान किया जाता है-तत्काल मामले में, अंतिम ऋण 2004-2005 में आगे बढ़ाया गया था-जाहिर है, ऋण को वर्ष 2012 में भी सीमा द्वारा रोक दिया गया था, जब मद्रास उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता कंपनी की समापन कार्यवाही शुरू की गई थी।

उत्तरदाता-एन. सी. एल. टी. ने आवेदन यू/एस. को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 7 आई. बी. सी. का, उसी को सीमितता से वर्जित रखते हुए -

272 एम/एस। राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय और आदेश को उलटने में कानून में गलती की-इस बारे में विवाद कि क्या उत्तरदाताओं के हस्ताक्षर जाली हैं या क्या रिकॉर्ड थे

मनगढ़ंत का निर्णय नियमित मुकदमे में फोरेंसिक साक्ष्य सहित साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है न कि कार्यवाही में। 7 आई. बी. सी. का-अन्यथा भी, आवेदन यू/एस। 7 आई. बी. सी. नहीं था रखरखाव योग्य-जैसा कि आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर किसी तीसरे पक्ष को जारी किए गए शेयरों के लिए प्राप्त भुगतान, ऋण नहीं हो सकता है, वित्तीय ऋण की बात करने के लिए नहीं-एन. सी. एल. टी. ने सही माना कि वित्तीय ऋण अस्तित्व में नहीं था-इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और आवेदन को खारिज करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

पुनर्स्थापित किया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का आह्वान करने वाले आवेदक के लिए था, ताकि प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का अस्तित्व दिखाया जा सके। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी को यह दिखाना था कि ऋण सीमा से बाधित नहीं है, जो वे करने में विफल रहे। [पैरा 36] [286-ई]

2. सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के भाग 2 के खंड (19) से खंड (21) के तहत, एक की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि

उधार दिए गए धन की वसूली के लिए मुकदमा, उस तारीख से तीन साल है जिस दिन ऋण का भुगतान किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम ऋण राशि 2004-2005 में अग्रिम की गई थी। समापन याचिका में, किसी भी सहमत तिथि की कोई फुसफुसाहट नहीं है जिसके द्वारा कथित ऋण को प्रत्यर्थियों को चुकाया जाना था। तत्काल मामले में, जाहिर है

वर्ष 2012 में भी ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जब मद्रास उच्च न्यायालय में समापन की कार्यवाही शुरू की गई थी।

[पैरा 37] [286-ई-जी]

3. एन. सी. एल. टी. ने दिवाला संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

समान रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया जाना है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले के निर्णय और आदेश को उलटने में कानून में गलती की है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सही है

आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अपीलीय

प्राधिकरण ने निर्णय को उलटने में कानून में स्पष्ट रूप से गलती की

प्राधिकरण का निर्णय लेना और आवेदन को स्वीकार करना। [पैरा 38] [286 जी] [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. जैसा कि एन. सी. एल. टी. चेन्नई द्वारा पारित 19 दिसंबर, 2018 के उक्त आदेश में दर्ज किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या। 1 और 2 संयुक्त रूप से

11 जनवरी, 2011 को आयकर विभाग को भेजे गए पत्र में यह पुष्टि की गई थी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलकर्ता कंपनी से उसे 1 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। पत्नी, अपीलार्थी कंपनी में शेयरों के आवंटन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 और आगे स्वीकार किया कि पूर्ववर्ती फर्म से प्रत्यर्थी को बकाया राशि 31 मार्च, 2004 को रु. उक्त पत्र एन. सी. एल. टी. के 19 दिसंबर, 2018 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ (9) में पूरी तरह से निकाला गया है। [पैरा 39] [287-ए-सी]

6.2 शेयरों के लिए प्राप्त भुगतान, जो प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर किसी तीसरे पक्ष को विधिवत जारी किया गया है, जैसा कि आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट है, वित्तीय ऋण की बात न करें तो यह ऋण नहीं हो सकता है। कंपनी के शेयर उसके संघ के लेखों में प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन हस्तांतरणीय होते हैं और जब कंपनी लाभ कमाती है तो लाभांश आकर्षित करते हैं। [पैरा 43] [290-एफ]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019)

11 एससीसी 633: [2018] 12 एस. सी. आर. 794-निर्भर।

एम/एस। राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर.

वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक

लिमिटेड (2019) 9 एससीसी 158: [2019] 12 एससीआर 75-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

[2019] 12 एससीआर 75

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7474

2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 02.09.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 224 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पी. आई. जोस, प्रशांत के. शर्मा, जेनिस

फ्रांसिस, रामकृष्णन एन., अभिषेक गुप्ता, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत, अनुपम मिश्रा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. के. एस. मेनन, शशांक मेनन, सुश्री मालिनी पोदुवाल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की एक खंड पीठ द्वारा पारित 19 दिसंबर, 2018 के आदेश के खिलाफ 2019 की अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.224 ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। अन्य रूप से, इस आधार पर कि प्रत्यर्थियों के कथित दावे को उस तारीख को सीमित किया गया था, जिस दिन उक्त आवेदन दायर किया गया था।

2. यह अपीलकर्ता कंपनी का मामला है कि उत्तरदाता

श्री एम. कृष्णन और श्रीमती राधा से वे निकटता से परिचित थे।

गौरी, जो अपीलकर्ता कंपनी के प्रवर्तक थे।

3. 1 नवंबर, 2002 और 12 सितंबर, 2003 के बीच

उत्तरदाताओं ने कुल रु। 2. 10 करोड़ में श्रीमती राधा गौरी की स्वामित्व वाली संस्था मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स को इसके व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किश्त।

4. 2004-2005 में, उत्तरदाताओं ने उक्त स्वामित्व संस्था, मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स को Rs.10 लाख की एक और राशि अग्रिम दी। ने कहा कि

इस प्रकार मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स ने कुल रु। 2002 और 2004 के बीच की अवधि के दौरान उत्तरदाताओं से 2.20 करोड़ रुपये। ऋण असुरक्षित और ब्याज मुक्त था।

5. अपीलकर्ता कंपनी के अनुसार, मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स ने 1 अक्टूबर, 2003 से 18 अक्टूबर के बीच उत्तरदाताओं को 40,000 रुपये का भुगतान किया।

मार्च 2004। जैसा कि एन. सी. एल. टी. के 19 दिसंबर, 2018 के निर्णय और आदेश में दर्ज किया गया है, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने संयुक्त रूप से 11 जनवरी, 2011 को आयकर उपायुक्त, कंपनी सर्कल 5 (3), चेन्नई को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2004 को उक्त स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स के पास ऋण था।

उत्तरदाताओं को रु. 1,39,60,000/- (रु. 2,20,00,000/- कम Rs.80,40,000/-) की देनदारी। उत्तरदाताओं ने उपरोक्त पत्र में कहा है कि

उन्होंने 2004 और 2005 के बीच मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स को Rs.10 लाख का और ऋण दिया था। उक्त पत्र को एन. सी. एल. टी. के 19 दिसंबर, 2018 के निर्णय और आदेश में पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया गया है।

6. अपीलकर्ता कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 19 जुलाई, 2004 को या उसके आसपास स्वामित्व संबंधी कंपनी, मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स के व्यवसाय को अपनी परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के साथ संभालने के लिए शामिल किया गया था।

देनदारियाँ। अपीलकर्ता कंपनी का कहना है कि 19 जुलाई, 2004 तक स्वामित्व संबंधी कंपनी मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स की ऋण देनदारी थी -

रु. 1,11,85,350/-, जिसे अपीलार्थी कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था।

7. 19 जुलाई, 2004 को, जब अपीलकर्ता कंपनी को एक निजी सीमित कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, ताकि स्वामित्व संबंधी कंपनी, मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स का व्यवसाय संभाला जा सके और जारी रखा जा सके, तो प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता कंपनी से अनुरोध किया कि वह उक्त बकाया ऋण में से 1,00,000/- की राशि को अपीलकर्ता कंपनी में शेयर जारी करने के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम से परिवर्तित करे, और इसकी पुष्टि प्रत्यर्थियों द्वारा 11 जनवरी, 2011 को आयकर उपायुक्त, कंपनी सर्कल 5 (3), चेन्नई को संबोधित अपने उपरोक्त पत्र द्वारा की गई थी। उक्त पत्र, जिसकी एक प्रति पेपर बुक के साथ संलग्न है, में लिखा हैः

‘ .....मैंने रुपये की राशि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। 90,00,000 / - (नब्बे लाख रुपये) मेरी पत्नी ए/सी को। श्रीमती शोभा जयराम के लिए

राधा एक्सपोर्ट्स (1) प्रा. लि. में शेयरों का आवंटन। लिमिटेड "।

8. तदनुसार, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा शेयर मेसर्स जारी करने के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में Rs.90,00,000/- की राशि समायोजित की गई थी।

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर.

प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम पर एक अपीलकर्ता कंपनी में। इसके बाद, कंपनी की शेष ऋण देयता Rs.21,85,350/- थी।

दिसंबर, 2018 और एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किए गए बैंक विवरण अनुलग्नक अल द्वारा समर्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम भुगतान 23.03.2006 पर किया गया था। 10. 6 अक्टूबर, 2007 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलकर्ता कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के समय,

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलकर्ता कंपनी से अनुरोध किया कि वह श्री एम. कृष्णन के शेयर आवेदन धन को श्री एम. कृष्णन के शेयर आवेदन धन के रूप में माने और श्री एम. कृष्णन के नाम पर <आईडी1,00,000/- के मूल्य के शेयर जारी करे। शेयर आवेदन राशि की राशि

Rs.90,00,000/- श्री एम. कृष्णन को हस्तांतरित किया गया, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 से उक्त श्री एम. कृष्णन को व्यक्तिगत ऋण के रूप में माना जाना था। 11. 11 जनवरी, 2011 को आयकर उपायुक्त, कंपनी सर्कल 5 (3), चेन्नई को संबोधित एक अन्य पत्र द्वारा, जो अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर जवाब का अनुलग्नक ए-4 है, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पुष्टि की कि उसने अपीलकर्ता से अनुरोध किया था

कंपनी उक्त श्री एम. कृष्णन के नाम पर उनके शेयर आवेदन राशि के बदले में शेयर आवंटित करेगी, जिसे उक्त एम. कृष्णन ने प्रतिवादी संख्या 2 से अपने व्यक्तिगत ऋण के रूप में लेने पर सहमति व्यक्त की थी और बाद की तारीख में उन्हें राशि का भुगतान करेगी। 12. अपीलकर्ता कंपनी ने 2008 में श्री एम. कृष्णन के नाम पर Rs.90,00,000/- के मूल्य के शेयर जारी करने का दावा किया है। अपीलकर्ता कंपनी के अनुसार, इस प्रकार, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा उत्तरदाताओं को कोई और दायित्व नहीं दिया जाना है। 23 मार्च, 2006 के बाद अपीलकर्ता कंपनी और प्रत्यर्थियों के बीच कोई वित्तीय लेनदेन नहीं हुआ था।

13. हालांकि, 19 नवंबर, 2012 को एक कानूनी नोटिस द्वारा, प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता कंपनी से अपीलकर्ता को भुगतान करने का आह्वान किया।

उत्तरदाताओं को रु। 1,49,60,000 / - कथित रूप से उत्कृष्ट [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलकर्ता कंपनी का ऋण, जो 19 जुलाई, 2004 को प्रत्यर्थियों को चुकाया जाना है।

14. 5 दिसंबर, 2012 के एक पत्र द्वारा, अपीलकर्ता कंपनी ने प्रत्यर्थियों के दावे का खंडन किया, जिसके बाद प्रत्यर्थियों ने दायर किया

अपीलकर्ता कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 433 (ई) और (एफ) और 434 के तहत मद्रास उच्च न्यायालय में 2013 की सीपी No.335 याचिका है। उक्त याचिका को एन. सी. एल. टी. की चेन्नई पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया और टी. सी. पी./301/(आई. बी.)/2017 को पुनः क्रमांकित किया गया।

15. समापन याचिका में किए गए कथन प्रत्यक्ष रूप से दर्शाते हैं कि प्रत्यर्थियों का दावा तीखा विवादित था। उस में

उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उनके द्वारा दिए गए पत्र, यहां तक कि उनके द्वारा आयकर अधिकारियों को संबोधित पत्र भी जाली थे। इनमें से कुछ कथन नीचे दिए गए हैं:

" 6. ..... याचिकाकर्ताओं का कहना है कि याचिकाकर्ताओं के शुभचिंतक होने का नाटक करने वाले प्रतिवादी के निदेशक सभी तथ्यों को जानते थे और 2007 तक बीच-बीच में ब्याज का भुगतान करना बंद कर दिया। चोट के अपमान को जोड़ते हुए, प्रतिवादी की कंपनी

एक धोखाधड़ी बिक्री विलेख बनाया और बिक्री पर विचार एक घुमावदार धोखाधड़ी लेनदेन है जो स्पष्ट रूप से साबित होगा

धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, जालसाजी और कई अन्य अपराधी

प्रत्यर्थी के अपराध। प्रतिवादी ने अवैध रूप से

याचिकाकर्ताओं के आवासीय घर को हड़प लिया। द.

याचिकाकर्ताओं ने पहले ही सी. एस. No.66 में दीवानी मुकदमा दायर कर दिया था।

2013 के माननीय उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में

मदरस में न्यायिक कार्य।

कंपनी और उसके निदेशकों और उन्होंने जवाब दिया 05.12.2012 प्रथम याचिकाकर्ता के खिलाफ अवांछित, अनावश्यक और मानहानिकारक आरोप लगाना, जिसने प्रतिवादी कंपनी के निदेशकों को फ्लैट खरीदने में मदद की थी।

जिसके लिए वे वर्तमान में और पूरी राजधानी के लिए रहते हैं

प्रत्यर्थी कंपनी को चलाना। उक्त उत्तर के पैरा 3 में, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी को किए गए भुगतान का विवरण मांगा। लेकिन पैरा 12 में, प्रतिवादी कंपनी ने कहा था कि लेन-देन को आयकर

विभाग के समक्ष रखा गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने हलफनामों पर हस्ताक्षर किए थे। आरोप विरोधाभासी मेसर्स हैं।

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

1 से 3 तक उत्तरदाता। 8. याचिकाकर्ताओं ने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे या खाली नहीं थे

प्रत्यर्थी या उसके निदेशकों को कागजात या कोई शपथ पत्र।

प्रत्यर्थी कंपनी के निदेशक सक्षम हैं

याचिकाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर, जो किया गया है

विभिन्न अवसरों पर सिद्ध किया।

XXX

XXX

XXX

10. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि द्वारा दिए गए उत्तर नोटिस से

अधिवक्ता, यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि प्रत्यर्थी और इसके निदेशकों ने याचिकाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर किए थे

आयकर विभाग।

11. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने सत्यापित किया था

कंपनी पंजीयक, चेन्नई के अभिलेख और पाए गए कि दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर जाली थे

त्याग पत्र, जो इसके तुरंत बाद जाली बनाया गया है धोखाधड़ी बिक्री विलेख। प्रत्यर्थी कंपनी और

निदेशकों ने आवेदन में जाली हस्ताक्षर भी किए थे

निदेशक की पहचान संख्या और जालसाजी के लिए

प्रत्यर्थी द्वारा की गई धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का चरम

कंपनी और उसके निदेशक न केवल याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, लेकिन सरकारी विभागों के खिलाफ भी।

15. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी के निदेशक

कंपनी ने दूसरे याचिकाकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए थे। में।

कंपनी पंजीयक को प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज

उत्तरदाता कंपनी की स्थापना के बाद से, जिसमें

त्याग पत्र और डी. आई. एन. आवेदन पत्र और प्राप्त डी. आई. एन.

निदेशक पद से दूसरे याचिकाकर्ता को हटाने के लिए संख्या,

जिसे प्रत्यर्थी कंपनी के निदेशकों ने दूसरा बनाया

उनकी सुविधा के लिए एक निदेशक के रूप में याचिकाकर्ता।

16. जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों को कार्यवाही में तय नहीं किया जाता है।

आर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 433 और 434 को समाप्त करने के लिए कंपनी। इस तरह के विवादों पर अनिवार्य रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए

एआर मुकदमा, फोरेंसिक परीक्षा सहित साक्ष्य के आधार परटीएस।

17. 4 अगस्त 2017 के एक आदेश द्वारा एन. सी. एल. टी. ने खारिज कर दिया

याचिका दायर करना, इस आधार पर कि उत्तरदाता विफल हो गए थे

दिवाला की धारा 7 (3) (बी) और [2020] 8 एस. सी. आर. के प्रावधानों का पालन करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. 7 दिसंबर 2017 को, प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता कंपनी को एक नया मांग नोटिस जारी किया। 14 दिसंबर 2017 के एक पत्र द्वारा, अपीलकर्ता कंपनी ने 7 दिसंबर 2017 के मांग नोटिस में दावों का खंडन किया, अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा करते हुए कि अपीलकर्ता कंपनी या उसके पूर्ववर्ती द्वारा देय और देय सभी राशियां -

उत्तरदाताओं को 2007 और 2008 के भीतर विधिवत भुगतान किया गया था। 19. इसके बाद प्रत्यर्थियों ने एनसीएलटी (चेन्नई पीठ) में आईबीसी की धारा 9 के तहत सीपी/77/(आईबी)/सीबी/2018 के रूप में एक याचिका दायर की।

आई. बी. सी. की धारा 9 के अर्थ के भीतर अपीलकर्ता कंपनी का एक परिचालन लेनदार होने का दावा करना और अपीलकर्ता कंपनी से रु। वर्ष 2007 से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूलधन के रूप में 2 करोड़ 10 लाख रुपये और ब्याज के रूप में 1,000 रुपये।

20. इस अपील के उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय के लिए आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत समापन याचिका में दावे और याचिका में दावे के बीच विसंगतियों की जांच करना आवश्यक नहीं है।

21. 12 अप्रैल 2018 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. की एकल पीठ ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर सी. पी./77/(आई. बी.)/सी. बी./2018 को खारिज कर दिया, जिसमें आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत खुद को 'परिचालन लेनदार' होने का दावा किया गया था।

वापस ले लिया गया, कानून के अनुसार एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ।

22. इसके बाद, 25 अप्रैल 2018 को, उत्तरदाताओं ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एन. सी. एल. टी. (चेन्नई पीठ) के समक्ष "वित्तीय लेनदार" के रूप में डब्ल्यू. सी. पी. No.770/आई. बी./सी. बी./सी.-II/2018 के रूप में एक नई याचिका दायर की। मूल राशि रु। 2007 से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि। 4,41,60,000 / - . अपीलकर्ता कंपनी ने एनसीएलटी के समक्ष सीपी No.770/आईबी/2018 में अपना जवाबी बयान दायर किया।

23. 19 दिसंबर 2018 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी द्वारा किए गए भुगतानों का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज किया

कंपनी और/या प्रत्यर्थियों के हित में उसके पूर्ववर्ती ने, प्रत्यर्थियों द्वारा आयकर प्राधिकरणों को लिखे गए पत्रों पर विचार किया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिका होने के कारण सी. पी. संख्या 770/आई. बी./सी. बी./2018 को खारिज कर दिया। कंपनी, और किसी भी मामले में उत्तरदाताओं के दावे को उम्मीद के बिना सीमित कर दिया गया था। एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी यह साबित करने में विफल रहे कि अपीलकर्ता कंपनी से मेसर्स को कोई ऋण देय था।

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

हालाँकि, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता कंपनी ने सबूत पेश किए थे

हम कहते हैं। 24. एन. सी. एल. टी. की नई पीठ के उक्त निर्णय और आदेश के प्रासंगिक भाग सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं।

" 9. यह साबित करने के लिए कि Rs.90,00,000 को शेयर के रूप में माना गया था

आवेदन का पैसा, कॉर्पोरेट देनदार ने एक पत्र दायर किया

(अनुलग्नक-ए 2) इन आवेदकों ने एक साथ आयकर विभाग को 11.01.2011 पर संबोधित किया, जिसमें पहले आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार से अपनी पत्नी (दूसरे आवेदक) को कॉर्पोरेट देनदार में शेयरों के आवंटन के लिए Rs.90,00,000 की राशि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। कॉरपोरेट देनदार वकील का कहना है कि न केवल इस अनुरोध के बारे में, बल्कि आवेदकों ने खुद कहा कि उन्होंने मेसर्स को अग्रिम धन दिया है। राधा निर्यात

वित्तीय वर्षों 2001-2002,2002-2003 और 2003 2004 के दौरान और उक्त साझेदारी से बकाया राशि

31.03.2004 पर फर्म रु. 1,39,60,000 है। तारीख वाला पत्र

11.01.2011 आवेदनकर्ताओं द्वारा डिप्टी को संबोधित आयकर आयुक्त इस प्रकार हैंः ..... "

10. उपरोक्त पत्र के अलावा, कॉर्पोरेट देनदार ने आयकर उपायुक्त को संबोधित दूसरा आवेदक दिनांकित एक और पत्र भी रखा है यह पुष्टि करते हुए कि उसने कॉर्पोरेट देनदार से आवंटन करने का अनुरोध किया था

प्रथम आवेदक के नाम पर उसके हिस्से के विरुद्ध शेयर आवेदन राशि Rs.90,00,000 इस समझौते पर कि उसका पति उसे बाद में उस पैसे का भुगतान करेगा। निगमित देनदार ने इस पत्र को उत्तर के साथ अनुलग्नक-ए 4 के रूप में संलग्न किया है।

निगमित देनदार द्वारा दाखिल हलफनामा।

17. अब जिन टिप्पणियों पर हमने ध्यान दिया है, उन पर विचार करने के लिए अब ये बिंदु हैं कि क्या संहिता की धारा 7 के तहत याचिका दायर करने की तारीख को पक्षों के बीच कोई वित्तीय ऋण मौजूद है और क्या यह मानते हुए कि वित्तीय ऋण मौजूद है, ऋण सीमा द्वारा वर्जित है।

या नहीं। 18. यह तथ्यों से स्पष्ट है कि पहले आवेदक ने रु। 2,10,00,000 / - रु. 2,20,00,000 / - जैसा भी मामला हो, 2002 और 2003 के बीच की अवधि के दौरान एक साझेदारी फर्म के लिए।

यह 4.07.2004, उसी साझेदारी [2020] 8 एस. सी. आर. द्वारा रिकॉर्ड पर भी स्पष्ट है।

फर्म ने रु. 1,08,14,650 का भुगतान किया। यह दिखाने के लिए कि इसका भुगतान किया गया है,

निगमित देनदार ने प्रतियां जमा करके प्रमाण प्रस्तुत किया है

इन आवेदकों को किए गए भुगतान को दर्शाने वाले विभिन्न बैंकों के खातों के विवरण के विवरण के विपरीत, इन आवेदकों ने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जो दर्शाती है कि -

ये भुगतान किए गए थे या नहीं।

25. इस मामले में, यदि हम आवेदक के मामले को देखते हैं, तो यह वर्ष 2002 और 2003 में चेक भुगतान के माध्यम से वितरित धन के आधार पर किया गया दावा है। यह पैसा भी नहीं था।

इस कॉर्पोरेट देनदार को वितरित किया गया, यह एक को दिया गया था

साझेदारी फर्म।

26. इस आवेदक ने यह खुलासा करने वाली कोई सामग्री भी नहीं रखी है कि तीन साल बीतने के बाद भी यह ऋण कैसे जीवित है। वितरण की तिथि। जब भी कोई दावा किया जाता है, जब वह अनुच्छेद 136 के तहत परिकल्पित तीन साल की अवधि से अधिक हो।

सीमा अधिनियम, दावा करने वाला व्यक्ति यह खुलासा करने और समझाने के लिए बाध्य है कि ऋण दावा कैसे सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। इन आवेदकों द्वारा साबित करने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

कि यह सीमा के भीतर है। यह मानते हुए कि यह फाइलिंग

कंपनी याचिका समापन की निरंतरता है

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कार्यवाही अर्थात

15.02.2013 , तब भी, क्योंकि इन आवेदकों ने दावा किया है कि वर्ष 2002 से 2003 में धन वितरित किया गया था, यदि सीमा

अवधि की गणना संवितरण, दाखिल करने की तारीख से की जाती है

समापन की कार्यवाही की अवधि से परे होगी

संवितरण की तारीख से सीमा। 27. रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए, भले ही कॉर्पोरेट ऋणदाता के बयान को सही माना जाए, सीमा

वर्ष 2007 से चलना शुरू हो जाएगा। वायंडिंग के बाद से

वर्ष 2013 में याचिका दायर की गई थी, वर्ष 2007 से भी, ये आवेदक उसके बाद से तीन साल के भीतर समापन कार्यवाही दायर कर सकते थे, न कि वर्ष 2013 में।

आवेदकों द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करते हुए, फिर भी

ऋण दावा सीमा द्वारा वर्जित रहेगा।

25. 13 फरवरी 2019 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थियों ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पैनी अपील (एटी) (आईएनएस) NO.224/19 दायर की, जिसमें एनसीएलटी द्वारा पारित 19 दिसंबर 2018 के आदेश को शामिल किया गया, जिसमें आईबीसी की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थियों की याचिका दायर की गई।

एम/एस। राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

27. 13.08.2019 पर अपीलकर्ता कंपनी ने उत्तरदाताओं को 'दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का नोटिस' जारी करने के लिए कहा उत्तरदाताओं को बयान की प्रमाणित सही प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए

नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनसे प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ता कंपनी को अग्रिम धन देने का दावा किया और बैंकों के लेखा विवरण की प्रमाणित वास्तविक प्रतियां, जिसमें मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स (स्वामित्व वाली संस्था) द्वारा जारी किए गए चेक जमा किए गए थे और उन्हें भुनाया गया था। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रत्यर्थियों ने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नोटिस का जवाब दिया, लेकिन दस्तावेज़ और/या अपीलकर्ता कंपनी द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत नहीं किए।

28. 20 अगस्त 2019 को या उसके आसपास, अपीलकर्ता कंपनी ने बयान की सही प्रतियों को संलग्न करते हुए एक अतिरिक्त उत्तर विवरण दायर किया। मेसर्स राधा एक्सपोर्ट्स (प्रोपराइटरी कंसर्न) के खातों के बारे में, अपीलार्थी

कंपनी और श्री एम. कृष्णन उत्तरदाताओं को किए गए भुगतान को प्रतिबिंबित करते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देश के तहत, अपीलकर्ता कंपनी ने भुगतान प्रविष्टियों का एक सहसंबंध विवरण भी दायर किया, जो बैंक विवरणों और अतिरिक्त जवाबी विवरण में दिए गए विवरणों में परिलक्षित होता है।

29. 2 सितंबर 2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों की अपील को स्वीकार कर लिया और आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए एन. सी. एल. टी. के 19 दिसंबर 2018 के आदेश को रद्द कर दिया।

30. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकरण का झुकाव नहीं था

अपीलकर्ता कंपनी के इस निवेदन को स्वीकार करें कि पूरी राशि का भुगतान दो कथित कारणों से किया गया था। पहला कारण यह था कि सहसंबंध विवरण में सीमा शुल्क, चेन्नई के पक्ष में कुछ राशियों का भुगतान Rs.53,05,000/- और भुगतान राशि दिखाई गई थी रु. तक। 1,75,000 / - श्री कुलशेखरन के पक्ष में। उत्तरदाताओं ने वित्तीय लेनदारों के रूप में विवाद किया था कि ये भुगतान वित्तीय लेनदारों के बकाया के लिए थे। दूसरा कारण यह था कि यदि कुल राशि का भुगतान किया गया था, तो अपीलकर्ता कंपनी के लिए यह दलील लेने का कोई कारण नहीं था कि राशि देय नहीं थी, क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि वैकल्पिक बचाव की अनुमति है।

एक दावे का परीक्षण करें। इस प्रकार यह अपीलकर्ता कंपनी के लिए खुला था कि वह सीमा की याचिका लेकर प्रत्यर्थियों के उद्देश्य का खंडन करे और यह भी समाप्त करे कि कोई भी राशि वास्तव में प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ता द्वारा देय और देय नहीं थी।

32. इन इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और Anr.[1],

सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया और अभिनिर्धारित कियाः

" 27. संहिता की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक होती है, तो इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और भुगतान नहीं किया जाता है, दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। धारा 3 (12) में चूक को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक बार देय और देय होने के बाद ऋण का भुगतान न करना, जिसमें उसके हिस्से का भुगतान न करना या किश्त राशि शामिल है। "ऋण" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (11) पर जाना होगा, जो बदले में हमें बताती है कि ऋण का अर्थ है "दावे" के संबंध में दायित्व का दायित्व और "दावे" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (6) पर वापस जाना होगा जो "दावे" को भुगतान के अधिकार के रूप में परिभाषित करता है, भले ही वह विवादित हो। कोड उस समय चालू हो जाता है जब डिफ़ॉल्ट एक लाख रुपये या उससे अधिक का होता है (धारा 4)। निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया स्वयं निगमित देनदार या वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार द्वारा शुरू की जा सकती है। संहिता द्वारा वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के ऋणों के बीच अंतर किया जाता है। एक वित्तीय लेनदार को धारा 5 (7) के तहत एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और एक वित्तीय ऋण को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक ऐसा ऋण जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है। इसके विपरीत, एक परिचालन लेनदार का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे एक परिचालन ऋण बकाया है और धारा 5 (21) के तहत एक परिचालन ऋण का अर्थ है इस संबंध में एक दावा।

वस्तुओं या सेवाओं का प्रावधान।

28. जब किसी वित्तीय लेनदार की बात आती है जो

प्रक्रिया, धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के तहत, एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है-यह आवेदक वित्तीय लेनदार के लिए बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है। धारा 7 (2) के तहत, उप के तहत एक आवेदन किया जाना है।

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

धारा (1) विहित प्ररूप और रीति में, जो

हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है (आवेदन करने के लिए

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) नियम, 2016। नियम 4 के तहत,

आवेदन फॉर्म 1 में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है।

उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ। फॉर्म

1 5 भागों में एक विस्तृत रूप है, जिसके लिए विवरण की आवश्यकता होती है

भाग I में आवेदक, में निगमित देनदार का विवरण

भाग 2, प्रस्तावित अंतरिम प्रस्ताव का विवरण

भाग III में पेशेवर, वित्तीय ऋण का विवरण भाग IV और दस्तावेजों, अभिलेखों और में चूक के साक्ष्य

भाग 5. नियम 4 (3) के तहत, आवेदक को एक प्रति भेजनी है

के पंजीकृत कार्यालय में पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट निगमित देनदार। वह गति जिसके भीतर निर्णय लिया जाता है

प्राधिकरण से एक डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाना है

सूचना उपयोगिता के अभिलेख या साक्ष्य के आधार पर

वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना महत्वपूर्ण है। यह होना ही चाहिए।

आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर करें। वह इस पर है

धारा 7 (5) का चरण, जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

संतुष्ट हो कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, कि निगम ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि कोई चूक नहीं हुई है

इस अर्थ में कि "ऋण", जिसमें विवादित ऋण भी शामिल हो सकता है।

दावा, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि वह देय नहीं है कानून या वास्तव में। जिस क्षण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी है

संतुष्ट है कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, आवेदन होना चाहिए

स्वीकार किया जाता है जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में यह दे सकता है

7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को नोटिस

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति। के तहत

निगमित देनदार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के 7 दिनों के भीतर ऐसा आवेदन, जैसा भी मामला हो।

" "

33. कानून का प्रस्ताव जो अभिनव से उभरता है

स्ट्राइज़ लिमिटेड (ऊपर) यह है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होती है।

एक डिफ़ॉल्ट होता है। दूसरे शब्दों में, एक बार ऋण या आंशिक भी

देय और देय हो जाता है, समाधान प्रक्रिया शुरू होती है। अनुभाग

'ऋण' को किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व के रूप में परिभाषित करता है और

उद्देश्य का अर्थ है भुगतान का अधिकार, भले ही वह विवादित हो। कोड मिलता है

एक पल के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से रु. 1,00,000/- या उससे अधिक है।

इस प्रस्ताव के लिए कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक याचिका को स्वीकार किया जाना है, भले ही दावा सीमा द्वारा वर्जित हो। 34. दूसरी ओर, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स 2, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की शुरुआत से संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है।

आकर्षित हो जाता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि चूक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है।

इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी।

35. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लि. में निर्णय। लिमिटेड (ऊपर) को वाशदेव आर. भोजवानी बनाम में न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था। अभ्युदय सहकारी बैंक Ltd.[3]।

36. यह कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का आह्वान करने वाले आवेदक के लिए था, ताकि प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का अस्तित्व दिखाया जा सके। दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी को यह दिखाना था कि ऋण सीमा से बाधित नहीं है, जो वे करने में विफल रहे। 37. सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के भाग 2 के खंड (19) से खंड (21) के तहत, किसी वाद की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि -

ऋण राशि की वसूली, उस तारीख से तीन साल है जिस दिन ऋण दिया गया था।

भुगतान किया जाता है। कहा जाता है कि पिछली ऋण राशि 2004-2005 में दी गई थी। समापन याचिका में, किसी भी सहमत तिथि की कोई फुसफुसाहट नहीं है जिसके द्वारा कथित ऋण को प्रत्यर्थियों को चुकाया जाना था। तत्काल मामले में, स्पष्ट रूप से ऋण को वर्ष 2012 में भी सीमित कर दिया गया था, जब मद्रास उच्च न्यायालय में समापन की कार्यवाही शुरू की गई थी।

38. एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय और आदेश को उलटने में कानूनी रूप से गलती की है

2 (2019) 11 एस. सी. सी. 633 3 3 (2019) 9 एस. सी. सी. 158 एम/एस.

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

पूर्ववर्ती न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सही है

आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय को उलटने और आवेदन को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से गलती की।

39. जैसा कि 19 दिसंबर, 2018 के उक्त आदेश में दर्ज किया गया है

एन. सी. एल. टी. चेन्नई द्वारा, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने संयुक्त रूप से 11 जनवरी, 2011 को आयकर विभाग को पत्र संबोधित किया जिसमें पुष्टि की गई थी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी से अनुरोध किया था

40. जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी संख्या द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों सहित ठोस रिकॉर्ड हैं। 1 और 2 जो यह दर्शाता है कि 6 अक्टूबर, 2007 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया कंपनी और उस समय प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलकर्ता कंपनी से अनुरोध किया कि वह श्री एम. कृष्णन के शेयर आवेदन राशि को श्री एम. कृष्णन के शेयर आवेदन राशि के रूप में माने और श्री एम. कृष्णन को उपरोक्त मूल्य के लिए शेयर जारी करे। इस राशि को प्रत्यर्थी संख्या 2 से श्री एम. कृष्णन को व्यक्तिगत ऋण के रूप में माना जाना था। किसी कंपनी के प्रवर्तक या निदेशक को दिया गया व्यक्तिगत ऋण आई. बी. सी. के तहत निगमित समाधान प्रक्रिया को गति नहीं दे सकता है। इस बारे में विवाद कि क्या प्रत्यर्थियों के हस्ताक्षर जाली हैं या क्या रिकॉर्ड बनाए गए हैं, एक नियमित मुकदमे में फोरेंसिक साक्ष्य सहित साक्ष्य पर निर्णय लिया जा सकता है न कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कार्यवाही में।

मद्रास उच्च न्यायालय में दायर कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के तहत कार्यवाही को समाप्त करना, जिसे एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया था और सी. पी./77/(आई. बी.)/सी. बी./2018 और डब्ल्यू. सी. पी. संख्या 770/आई. बी./सी. बी./सी.-II/2018 में एन. सी. एल. टी. की चेन्नई पीठ के समक्ष दायर दलीलें भी। श्री कृष्णन या कंपनी के खिलाफ प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किसी भी मुकदमे का फैसला इस फैसले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। 42. अन्यथा भी, आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। जैसा कि एन. सी. एल. टी. द्वारा सही माना गया है कि कोई वित्तीय ऋण मौजूद नहीं था। इस संदर्भ में आई. बी. सी. के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगाः

" 3. परिभाषाएँ। - इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

(10) " "लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक शामिल हैं। (11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं;

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय हो गया हो और देय और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

XXX

XXX

XXX

5. परिभाषाएँ। - इस भाग में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(7) " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है;

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि; (ख) किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या उसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या किसी भी समान साधन के जारी होने के अनुसार जुटाई गई कोई राशि; (घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

राधा निर्यात (भारत) पी. वी. टी. लिमिटेड वी। केपी जयराम और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ई) गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ; (च) किसी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता भी शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है;

(छ) किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेनदेन और किसी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा;

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व; (i) इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि;

XXX

XXX

XXX

7. वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत। - (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से

वित्तीय लेनदार का, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। न्यायनिर्णायक के समक्ष किसी निगमित देनदार के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।

प्राधिकरण जब एक डिफ़ॉल्ट हुआ हो।

XXX

XXX

XXX

8. परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान। - (1) एक परिचालन लेनदार, चूक की घटना पर, एक चालान की अवैतनिक परिचालन देनदार प्रति की मांग सूचना दे सकता है।

चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करना

निगमित ऋणी ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए। (2) निगमित देनदार, मांग सूचना या उप-धारा (1) में उल्लिखित चालान की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों की अवधि के भीतर परिचालन लेनदार के ध्यान में लाएगा।

(क) किसी विवाद का अस्तित्व, यदि कोई हो, की विचाराधीनता के अभिलेख पर

की प्राप्ति से पहले दायर किया गया मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही

ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान;

(ख) अवैतनिक परिचालन ऋण [2020] 8 एस. सी. आर. का भुगतान।

((i) निगमित देनदार के बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति भेजकर; या

(ii) रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि परिचालन लेनदार ने निगम द्वारा जारी किए गए चेक को भुनाया है।

ऋणी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांग सूचना" का अर्थ है एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को दी गई सूचना जिसमें निम्नलिखित के संबंध में परिचालन ऋण के भुगतान की मांग की गई है:

जो डिफ़ॉल्ट रूप से हुआ है "।

43. धारा 5 (8) में वित्तीय ऋण की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि वित्तीय ऋण का अर्थ ब्याज, यदि कोई हो, के साथ ऋण है।

धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित किया गया और

ब्याज के भुगतान के विरुद्ध जुटाई गई या उधार ली गई राशि; किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या इसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई राशि; किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या किसी भी समान साधन के जारी होने के अनुसार जुटाई गई राशि; इस संबंध में किसी भी दायित्व की राशि शामिल होगी।

किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध का, जिसे भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्त या पूंजी पट्टे के रूप में माना जाता है या ऐसे अन्य लेखा मानक जो निर्धारित किए जा सकते हैं; गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्ति के अलावा बेची गई या छूट दी गई प्राप्तियाँ या कोई अन्य किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है।

धारा 5 (8) का स्पष्टीकरण जो अचल संपत्ति परियोजनाओं से संबंधित है, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है। शेयरों के लिए प्राप्त भुगतान, जिसके अनुरोध पर किसी तीसरे पक्ष को विधिवत जारी किया गया हो आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ऋण नहीं हो सकता है, वित्तीय ऋण की बात नहीं की जा सकती है। कंपनी के शेयर उसके संघ के लेखों में प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन हस्तांतरणीय होते हैं और जब कंपनी लाभ कमाती है तो लाभांश आकर्षित करते हैं।

44. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए अपील की अनुमति है। अपीलीय न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और

आवेदन को खारिज करने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश को बहाल किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान